

डिस्क्लेमर

परामर्श पत्र संख्या 08/2022-23 के मुख पृष्ठ, हितधारकों की टिप्पणियां, प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार और हितधारकों के परामर्श संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।



सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
Airports Economic Regulatory Authority of India

जीएसईसी बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (जीबीएसपीएल) के संबंध में
तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, तिरुवनंतपुरम में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए
तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए टैरिफ निर्धारित
करने के मामले में

IN THE MATTER OF
DETERMINATION OF TARIFF FOR GROUND HANDLING SERVICES FOR
GSEC BIRD AIRPORT SERVICES PRIVATE LIMITED (GBASPL) AT
THIRUVANANTHAPURAM INTERNATIONAL AIRPORT, THIRUVANANTHAPURAM
FOR THE THIRD CONTROL PERIOD
(FY 2021-22 TO FY 2025-26)

जारी करने की तारीख : 16/08/2022/

Date of Issue: 16/08/2022

ऐरा भवन/AERA Building
प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स/Administrative Complex
सफदरजंग हवाईअड्डा/Safdarjung Airport
नई दिल्ली/New Delhi – 110003

हितधारकों की टिप्पणियां

प्राधिकरण को ज्ञात है कि विमानन क्षेत्र पूरे विश्व में कोविड-19 महामारी फैलने के कारण अत्यधिक अस्त-व्यस्त हो गया था और अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस महामारी के परिणामस्वरूप अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों हवाई यात्राओं पर रोक लग गई थी। अब कोविड के मामलों में कमी आने और हवाई यात्रा संबंधी प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद (28.03.2022 से) विमान यातायात में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। प्राधिकरण ने जीबीएसपीएल द्वारा प्रस्तुत बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव ('एमवाईटीपी') में दिए गए विभिन्न अनुमानों के आधार पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव की जांच करने के बाद यह परामर्श पत्र जारी किया है। तदनुसार टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर प्राधिकरण के प्रस्ताव इस परामर्श पत्र में विस्तार से स्पष्ट किए गए हैं।

अतः ऐरा अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 16.08.2022 के परामर्श पत्र संख्या 08/2022-23 पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां, अधिमानतः इलैक्ट्रॉनिक रूप में, निम्नलिखित पते पर आमंत्रित की जाती है:

निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ)

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा)

ऐरा प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स, सफदरजंग हवाईअड्डा,

नई दिल्ली-110003, भारत

ई-मेल : inderpal.s@aera.gov.in; satish.kr@aera.gov.in

प्रतिलिपि : director-ps@aera.gov.in ; secretary@aera.gov.in

हितधारकों की टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	06/09/2022
जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	13/09/2022

टिप्पणियां ऐरा की वेबसाइट www.aera.gov.in पर डाली जाएंगी।

किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ) से दूरभाष संख्या +91-11-24695048 पर संपर्क कर सकते हैं।

अध्याय 7 : प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार

जीबीएसपीएल के संबंध में तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए हितधारकों के परामर्श के प्रयोजन से टैरिफ निर्धारण संबंधी संगत अध्यायों के संबंध में प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार नीचे दिया गया है:

अध्याय	पैरा	प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार	पृष्ठ संख्या
अध्याय संख्या 2	2.7	प्राधिकरण तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए “लाइट टच अप्रोच” के अंतर्गत जीबीएसपीएल के टैरिफ निर्धारण कार्य को मानने का प्रस्ताव करता है क्योंकि विनियमित सेवा “मटीरियल नहीं” है।	7
अध्याय संख्या 3	3.7	प्राधिकरण तालिका 3 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए विमान यातायात (संचालित की जाने वाली उड़ानों) को मानने का प्रस्ताव करता है।	9
अध्याय संख्या 4	4.6	प्राधिकरण तालिका 4 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कैपेक्स को मानने का प्रस्ताव करता है।	12
अध्याय संख्या 5	5.12	प्राधिकरण तालिका 6 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए ओपेक्स को मानने का प्रस्ताव करता है।	15
अध्याय संख्या 6	6.08	प्राधिकरण शेडयूल्ड उड़ानों और अंतरराष्ट्रीय नॉन शेडयूल्ड उड़ानों तथा सामान्य विमानन प्रचालनों (संलग्नक –II के अनुसार) के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (संलग्नक –I के अनुसार) के लिए जीबीएसपीएल द्वारा प्रस्तुत टैरिफ दर कार्ड को मानने और तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रस्तावित टैरिफ पर हितधारकों के विचार प्रदर्शित करने का प्रस्ताव करता है।	17
	6.09	प्राधिकरण यह प्रस्ताव करता है कि अंतरदेशीय नॉन शेडयूल्ड उड़ानों और सामान्य विमानन प्रचालनों के लिए टैरिफ समान श्रेणी के विमान(नों) के लिए संगत अंतरदेशीय शेडयूल्ड उड़ानों की टैरिफ से अधिक नहीं होनी चाहिए।	
	6.10	प्राधिकरण अंतरराष्ट्रीय नॉन शेडयूल्ड और सामान्य विमानन उड़ानों के मामले में संलग्नक –II में उल्लिखित टैरिफ को मानने का प्रस्ताव करता है।	18
	6.11	प्राधिकरण यह प्रस्ताव करता है कि विदेशी मुद्रा में भुगतान किए जाने की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक की पिछले माह की अंतिम तारीख को विद्यमान मुद्रा परिवर्तन दर माह के पहले पखवाड़े के लिए लागू होगी और माह की पंद्रह तारीख को विद्यमान दर दूसरे पखवाड़े के लिए लागू होगी।	
	6.12	प्राधिकरण यह भी प्रस्ताव करता है कि संलग्नक-I और II के अनुसार प्रस्तावित टैरिफ दरें वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ होंगी। प्रस्तावित टैरिफ दरों के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रभार नहीं लगाया जाएगा।	

अध्याय 8 हितधारक से परामर्श

- 8.1 ऐरा अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार उपर्युक्त अध्याय 7 में निहित प्रस्ताव एतद्द्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत है। हितधारकों की सार्थक और रचनात्मक ढंग से प्रस्तुति करने में उनकी सहायता करने के लिए परामर्श पत्र में आवश्यक संलग्नक (संलग्नक-I और II) भी शामिल हैं।
- 8.2 संदेह दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय-वस्तु का इस प्राधिकरण द्वारा जारी किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए। प्राधिकरण इस मामले के जवाब में हितधारकों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में टैरिफ आदेश में पूर्ण रूप से लिखित रूप में प्रमाणित और स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही इस मामले में आदेश जारी करेगा।
- 8.3 प्राधिकरण उपर्युक्त अध्याय 7 में दिए गए प्रस्तावों पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करता है, जिन्हें अधिक से अधिक **06.09.2022** तक भेज दिया जाए।

सचिव,
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
ऐरा भवन, प्रशासनिक कॉम्पलेक्स, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली –110003.
फोन : 011 24695044-47 ; फैक्स 011-24695048

(अध्यक्ष)

